अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
1. आंध्र प्रदेश	• लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु मुफ्त बिजली आपूर्ति करना • 'पावला वड्डी' सहित महिला स्वयं सहायता समूह को ऋण प्रदान करना • बैंकों द्वारा महिला समूहों को दिए गए ऋण पर ब्याज सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना • नई स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ करना जो गरीब लोगों की चिकित्सा आवश्यकता को पूरा करे। • नए स्थापित उद्योगों तथा फेरो मिश्र धातु उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों को विद्युत सब्सिडी	• राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुरूप आंध्र प्रदेश 'ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' अधिसूचित करना।	• ग्रामीण जनता को रोजगार देने हेतु 'आंध्र प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' कार्यान्वित करना। • तेलंगाना के सूखे जमीनी क्षेत्र हेतु गोदावरी के पानी का उपयोग करने के लिए 4 बड़ी सिंचाई परियोजना स्थापित करना। • 85 पशुचिकित्सा संस्था स्थापित करना। • पिछड़े जिलों में उच्च शिक्षा में सुधार हेतु 3 नए विश्वविद्यालय स्थापित करना। • ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ करना। • सभी आदिम जनजातीय समूहों को बीमा कवरेज के अंतर्गत लाया जा रहा है।
2. अरुणाचल प्रदेश	• जीवन रक्षा औषधियों पर वैट न लगाना • वैयक्तिक हल्के वाहन और दुपहिया वाहन पर प्रवेश कर समाप्त करना।		
3. असम	• ऐसी सरकारी क्षेत्र की इकाइयां जो अर्थक्षम नहीं रह गई हैं, उन्हें राज्य सरकार अपने नियंत्रण में लेगी तथा उनके कर्मचारियों सहित उनकी वर्तमान देयताओं को पूरा करेगी। • सभी राज्य स्तर पर सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर लागू एक समान वीआरएस पालिसी पैकेज अपनाना। • सरकार, कृषि, पशु चिकित्सा तथा मत्स्य क्षेत्र के स्नातकों को 50 प्रतिशत की राज्य सब्सिडी देकर स्वरोजगार उद्यम के लिए प्रोत्साहित करेगी। • स्वयं सहायता समूहों को 5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी देने हेतु योजना की घोषणा। • असम कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान के रूप में योजना तथा योजनेतर संसाधनों का आबंटन करना ताकि उसके राजकोषीय संकट को नियंत्रित किया जा सके। • राज्य सरकार के अंतर्गत अजा, अजजा, अन्य पिछड़े वर्ग तथा विकलांग व्यक्तियों	• पंचायतीराज संस्था तथा शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाने हेतु तीसरे राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। • असम एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय बनाना। • जिला योजना की संकल्पना शुरू करना जिसके अंतर्गत एक जिला योजना एवं निगरानी समिति जिला स्तरीय योजना तैयार करेगी और जिसका अनुमोदन सरकार करेगी। • एक निदेशालय, विशेष रूप से चाय जनजातीय समूह के कल्याण के लिए स्थापित करना। • कामरूप जिला के लिए एक आदर्श जिला कार्यालय परिसर बनाना। • सिपेट के साथ मिलकर मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाना ताकि गैस क्रेकर परियोजना और उससे संबद्ध उद्योगों में	• असम एकीकृत बाढ़ नियंत्रण एवं क्षरण निरोधक परियोजना और असम अभिशासन तथा सार्वजनिक संसाधन प्रबंध कार्यक्रम को एशिया विकास बैंक द्वारा धन उपलब्ध कराया जाएगा। • गुवाहाटी में आधुनिक पुस्तकालय की स्थापना करना। • बाढ़ और क्षरण प्रबंधन के प्रयोजन से असम एकीकृत बाढ़ तथा नदी के किनारों के प्रबंधन की परियोजना बनाना। • मलेरिया के प्रभावी निदान के लिए विशेषज्ञों के कार्यबल का गठन करना। • कोकराझार में मेडिकल कॉलेज बनाना। • इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना। • असम पावर निर्माण निगम लिमि. को आवश्यक इक्विटी सहायता देते हुए लोवर

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	की विभिन्न श्रेणियों के बैकलॉग सहित 12,000 पदों को भरना। • भारत सरकार की दरों के समान महंगाई भत्ता तथा महंगाई राहत देना। • औषधि और मलेरिया दवाओं पर कर की दर कम करना। • ऐसे राज्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को प्रोत्साहन देने हेतु विशेष कर प्रोत्साहन योजना, जो रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। • लघु उद्योग इकाइयों के लिए सभी प्रकार के संयंत्रों और मशीनरी पर प्रवेश कर कम करना। • जनरेटर सेट द्वारा विद्युत पैदा करने हेतु विद्युत शुल्क का भुगतान करने से गृहस्थ क्षेत्र को मुक्त रखना। • अर्थदंड के रूप में लगाए गए करों से एक समर्पित निधि बनाना जिसका इस्तेमाल उपभोक्ता कल्याण तथा जागरुकता के लिए किया जाएगा। • कर सुधार आयोग का गठन किया गया, जो व्यावहारिक तरीके से यह देखेगा कि कराधान में सुधार किस तरह से कार्यान्वित किया जाएगा। • कर विभाग की वेबसाइट प्रारंभ करना जिसमें कर से संबंधित समस्त जानकारी होगी। • ईमानदार और नियमित कर दाताओं को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष सुविधा के रूप में गोल्डन और सिल्वर कार्ड की योजना प्रारंभ करना।	आवश्यकता आधारित गतिविधियों को करने हेतु नवयुवकों को प्रोत्साहित करना। • जटरोफा परियोजना को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए राज्य स्तर पर जटरोफा मिशन गठित करना। • ''असम अपार्टमेंट्स निर्माण और स्वामित्व अंतरण विधेयक 2006'' विधेयक लाना, जो असम के सभी शहरों में निर्माण गतिविधियों की अप्रत्याशित वृद्धि के प्रबंधन के लिए सरकार की स्पष्ट नीति स्थापित करेगा। • राज्य में समयबद्ध तरीके से पर्याप्त तथा स्थायी स्वरोजगार पैदा करने हेतु रोजगार सृजन मिशन प्रारंभ करना। • प्रत्येक विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष से वार्षिक निष्पादन रिपोर्टिंग प्रणाली प्रारंभ करना, जिसे विधान सभा में रखा जाएगा। • केंद्रीय सर्तकता अधिनियम के अनुरूप राज्य सतर्कता अधिनियम लाना। • भ्रष्टाचार से सार्वजनिक प्रशासन को मुक्त करने के लिए बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1998 से संबंधित केंद्रीय अधिनियम को अंगीकार करना।	कपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना लागू करना। • नामरूप में परियोजना स्थापित करना जो वर्तमान पुरानी थर्मल पावर परियोजना के स्थान पर होगी तथा बरगोलाई में एक अन्य कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन बनाना। • असम राज्य वैन लागू करना जो राज्य के मुख्यालय को जिला मुख्यालय से और ब्लॉक/ सर्कल मुख्यालय से तथा अंत में आम सेवा केंद्रों को जोड़ेगा। • 2 विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करना, एक लोवर असम में, दूसरा अपर असम में। • राज्य स्तरीय पीएसई स्थापित करना जो तेल, प्राकृतिक गैस और विभिन्न अन्य ऊर्जा स्रोतों का पता लगाएगी, निकालेगी और प्रोसेसिंग करेगी। • 5-सितारा श्रेणी का होटल बनाने के लिए राजस्व विभाग भूमि का निर्धारण करेगा। • प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय को शहरी केंद्र की तरह उन्नत बनाना जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं तथा नागरिक सुविधाएं मुहैया होंगी।
4. बिहार	• मनोरंजन कर में रियायत दी गई ताकि राज्य में मल्टीप्लेक्स तथा सिनेमा हाल के निर्माण में निवेश बढ़े। • नई गन्ना नीति घोषित की गई। गन्ना मिलों द्वारा गन्ने की खरीद पर लगाए गए कर को समाप्त कर दिया गया है।	• राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य निवेश संवर्धन परिषद का गठन किया गया है। निवेशकों द्वारा दिए गए प्रस्तावों को 'एक खिड़की प्रणाली' द्वारा स्वीकृति दी जाएगी।	• राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गई। • मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क योजना और मुख्यमंत्री पुल निर्माण योजना को राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
5. छत्तीसगढ़	• 'बजट परिणाम' की परंपरा शुरू करना ताकि राज्य की विभिन्न योजना के अंतर्गत आबंटित व्यय राशि का कितने असरदार तरीके से इस्तेमाल किया गया इसका मूल्यांकन किया जा सके। • राज्य में 1 अप्रैल, 2006 से वैट लागू करने का निर्णय । • चुनिंदा पण्यों पर प्रवेश कर का युक्तिकरण।		• राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गई। • सरकारी-निजी क्षेत्र सहभागिता दृष्टिकोण के माध्यम से राज्य में मूलभूत सुविधा विकसित करने पर ज़ोर देना। • राज्य के बेघर ग्रामीण परिवारों के लिए दीनदयाल ग्रामीण गृह योजना प्रारंभ करना।
6. गोवा	• पावर टिलर की खरीद के लिए 25 प्रतिशत की सब्सिडी । • इलेक्ट्रिक वाटर पंप खरीदने हेतु 25 प्रतिशत की सब्सिडी। • जल प्रवाह के लिए पाइप लगाने की लागत पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी। • पंजीकृत व्यापारियों द्वारा पुरानी प्रमाणित कारों की पुनः बिक्री पर निगेटिव इनपुट टैक्स क्रेडिट सहित, कर लगाने का प्रस्ताव। • अधिक राजस्व पैदा करने के लिए बीयर और आइएमएफएल पर आयात पास शुल्क लगाना। • अतिरिक्त राजस्व हेतु गोवा के बाहर से आने वाली मुर्गियों एवं अण्डों पर उपकर लगाना। • अतिरिक्त राजस्व हेतु प्रत्येक विदेशी पर्यटक पर उपकर लगाना।	• अजा / अजजा संबंधी नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया जाना। • प्रभावी रूप से आपदा प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर स्वायत्त आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना तथा जिला स्तर पर व्यवस्था करने का प्रस्ताव। • गोवा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को अपने धन से तथा राज्य के आवश्यकता के अनुरूप लागू करना तथा सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को इस योजना के अंतर्गत लाना।	• अजा के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम तथा विशेष कंपोनेंट योजना लागू की जाएगी और उसकी निगरानी की जाएगी। • विशेष योजना बनाकर तथा उनके लिए धन का निर्धारण करके अजजा हेतु जनजाति उपयोजना तैयार करना। • 'कन्या धन' नामक नई योजना शुरू करना जिसमें अजा/अजजा की विद्यार्थिनियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु मीयादी जमा का प्रावधान होगा। • 'राजीव आवास योजना' नामक नई योजना उन परिवारों के लिए शुरू करना जो गरीबी की रेखा से थोड़ा ऊपर हैं। उनके लिए नया घर बनाना तथा घर की मरम्मत करना। • एनजीओ, पंचायत और नगरपालिकाओं को अनुदान देकर वरिष्ठ नागरिकों की दैनिक देखभाल हेतु 'उम्मीद' प्रारंभ करना। • नई योजना 'सहारा' आरंभ करके असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बीमा कवरेज उपलब्ध करवाना और इसे जीवन बीमा निगम के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। • एनजीओ के साथ मिलकर चलती-फिरती प्रयोगशाला, चिकित्सा जानकारी कैंप के माध्यम से पूरी आबादी के स्वास्थ्य जांच का प्रस्ताव।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
			• दयानंद समाज सुरक्षा योजना के अंतर्गत अनाथों को सामाजिक सुरक्षा देने हेतु नई योजना 'बचपन' शुरू करना।
7. गुजरात	• बिक्री कर क्षमा योजना और 'वचनवीर सरल अकरनी योजना' प्रारंभ करना जिसका उद्देश्य बकाया करों की तेजी से वसूली सुनिश्चित करना होगा। • विभिन्न श्रेणी के ग्राहकों को विद्युत शुल्क में कमी। • अप्रैल 2000 से पहले पंजीकृत दस्तावेज़ों पर बकाया स्टैम्प शुल्क की वसूली हेतु क्षमा योजना। • स्थानीय निकाय व्यवसाय कर की वसूली करें और उसे अपने पास रखें किंतु कुछ अपवादों के साथ। वर्तमान अधिनियम संशोधित किया जाएगा।	• बंदरगाह वाले क्षेत्रों के विकास के लिए गुजरात तटीय क्षेत्र विकास योजना बोर्ड का गठन करना। • गुजरात शहरी विकास मिशन का गठन किया जाएगा और शहरों के आधुनिकीकरण एवं विकास की योजना लागू की जाएगी।	• अगले कृषि महोत्सव पर छोटे, सीमांत, अजा/अजजा किसानों को कृषि-किट मुफ्त देना। • बेसहारा विधवा पेंशन योजना का प्रस्ताव। • कच्छ के मुंद्रा में केंद्र सरकार के साथ अत्याधुनिक बृहत् विद्युत परियोजना लगाना। • जीआइडीसी में आबंटित पट्टे पर जमीन को उपयुक्त प्रीमियम पर पट्टे की जमीन से फ्री होल्ड में परिवर्तित करना। • गुजरात आपदा प्रबंध संस्थान स्थापित करना। • भूकंप के भय को ध्यान में रखते हुए भूकंप-विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थापित करना।
8. हरियाणा	• सभी किसानों के बकाया विद्युत बिलों को भरना ताकि वे मौजूदा बिलों का भुगतान कर सकें। • क्षेत्र की आर्थिक संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए भूमि अभिग्रहण की न्यूनतम दर निर्धारित करना जिससे भूमि की अपर्याप्त क्षतिपूर्ति की समस्या समाप्त होगी। • मनोरंजन उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु मनोरंजन कर कम करना।	• विदेश में नौकरी हेतु ब्यूरो की स्थापना करना जो विदेश में नौकरी दिलवाने में भर्ती एजेंसी का कार्य करेगा।	• कन्या शिशु के स्तर को बढ़ाने की पहल करना। 'लाड़ली' योजना दूसरी कन्या शिशु के जन्म हेतु प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाएगी। पंचायतों को 6-14 वर्ष की कन्याओं का नामांकन सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। 18 वर्ष की कन्या को स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा। बालिका विद्यार्थी को अतिरिक्त छूट देते हुए बस के पास दिए जाएंगे। तकनीकी संस्थानों में बालिकाओं के लिए 25 प्रतिशत सीट आरक्षित होगी। • महिला के नाम संपत्ति अंतरण पर स्टाम्प शुल्क कम करना। आवास बोर्ड ने महिला उम्मीदवारों के लिए 33 प्रतिशत मकान आरक्षित किए हैं। एक कन्यावाले माता-पिता को 60 वर्ष के बजाय 55 वर्ष की आयु से भत्ता दिया जाएगा। लड़कियों की शादी के लिए अजा/अजजा परिवारों को वित्तीय सहायता। • लोनिवि ने चरणबद्ध रूप से 33 रेल ऊपरी पुल बनाने की योजना बनाई है।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
			• राज्य सरकार बीओटी आधार पर 5 राज्य सड़कों का कार्य हाथ में लेगी। • मछली किसानों के फायदे के लिए दो नई योजनाएं ''रंग-बिरंगी मछली पालन का विकास'' तथा ''फसल कटने के बाद बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण'' शुरू की जा रही हैं। • कुंडली में 'राजीव गांधी शिक्षा शहर' की स्थापना करना जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा संस्थाओं को 'श्रेष्ठ शिक्षा केंद्र' स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। • महिला विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है। • अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिए डॉ. आंबेडकर मेधावी छात्र योजना' नामक छात्रवृत्ति प्रारंभ की गई है। • विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं के बच्चों के पालन-पोषण के लिए 'मदर टेरेसा असहाय मातृसंबल योजना'।
9. हिमाचल प्रदेश	• चालू राजकोषीय वर्ष में बजट से इतर कोई उधार नहीं लिया जाएगा। • मंदिरों के रखरखाव की जरूरत को पूरा करने के लिए धर्मादा निधि सृजित करना। • पुराने टैरिफ दर पर बिजली देने हेतु एचपीएसईबी को सब्सिडी देना। • हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के आबंटन हेतु नीतिगत दिशानिर्देश जिसमें यह निर्धारित होगा कि विकासकर्ताओं से 12 प्रतिशत की दर पर मुफ्त पावर रायल्टी ली जाएगी। • सभी विद्युत निर्माता स्थानीय विकास हेतु परियोजना लागत का 1.5 प्रतिशत देंगे। • राज्य सरकार के कर्मचारियों पर व्यवसाय कर हटाना। • नए कर का कोई प्रस्ताव नहीं और न ही वर्तमान दरों को बढ़ाया जाएगा।	• हिमाचल प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2006 लाने का प्रस्ताव जो राज्य में श्रेष्ठ संस्थान की स्थापना को बढ़ावा देगा और विनियमित करेगा। • नए और उभरते हुए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना का विधेयक लाना जिसके अंतर्गत प्रशासन की एकल व्यवस्था होगी। • सिंचाई विभाग, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं कृषि विभाग के विशेषज्ञों पर आधारित एक समिति का गठन जो सृजित सिंचाई संभाव्यता तथा परियोजना निर्माण की विस्तारित सेवाओं को एकीकृत करते हुए बीच के अंतराल को कम करने की ठोस रणनीति तैयार करना। • शिमला को छोड़कर सभी शहरी क्षेत्रों में बुनियादी और सफाई व्यवस्था में सुधार	• 'इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना' को दुबारा शुरू करना जिससे माता-पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि लड़की के जन्म के बाद अंतराल रखते हुए परिवार नियोजन अपनाकर कन्या शिशु की स्थिति को बेहतर बनाया जाए। • मध्य हिमालय के लिए एकीकृत जल विभाजक विकास परियोजना प्रारंभ करना जो परियोजना क्षेत्र में वन और जल संसाधन का पुनर्सृजन करेगी। • स्वान नदी के ऊपरी भाग में मिट्टी के कटाव को रोकने हेतु स्वान नदी एकीकृत जलविभाजक प्रबंध परियोजना प्रारंभ करना। • गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बेघर परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र में दो बिस्वा और शहरी क्षेत्र में एक बिस्वा ज़मीन का आबंटन। • जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य संस्थाओं की कमी है उनमें कमी को पूरा करने के लिए नए सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र खोलना।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
		हेतु राजीव गांधी शहरी नवीकरण सुविधा की स्थापना करना। शिमला को भारत सरकार के जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में शामिल किया गया है। • आपदा प्रबंधन की समस्त गतिविधियों को देखने के लिए 'राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' गठित किया जाएगा।	• ऋषिकेश के समान आयुर्वेदिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उचित कदम उठाना। • स्थानीय सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कतिपय जल निकायों के पुनर्वास एवं नवीकरण हेतु प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ करना। • स्त्री-पुरुष की समानता, मानव विकास और आर्थिक कुशलता सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों में स्त्री-पुरुष बजटिंग प्रारंभ किया जाएगा। • राज्य, जिला, ब्लॉक, तहसील तथा उप-तहसील स्तर पर सभी को ऑन-लाइन जोड़ने के लिए राज्य बृहत क्षेत्र नेटवर्क (वैन) की स्थापना। • मार्च 2004 की समाप्ति पर दैनिक मजदूरी करने वाले जिन्होंने 8 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उन्हें विभिन्न विभागों में रिक्तियां होने पर नियमित किया जाएगा।
10. जम्मू और कश्मीर	• पिछली योजना की मान्य देयताओं को गैर-योजना पक्ष की ओर अंतरित करने का प्रस्ताव। • आवास और शहरी विकास विभाग माल और बहुमंजिले मॉल के विकास हेतु नीति को अंतिम रूप देना। • मल्टिप्लेक्सेस में बने सभी सिनेमा घरों को 10 वर्ष के लिए मनोरंजन कर से छूट। • सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिनके पास पुनः ऊपर उठने की निश्चित योजना है, उनके साथ बजट-बचत के माध्यम से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की भौतिक, वित्तीय तथा तकनीकी पुनर्संरचना हेतु दिशानिर्देश उपलब्ध कराना। • सरकार अपने हिस्से के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक की पूंजी में अंशदान करेगी ताकि अधिकांश धारिता उसके पास रहे	• विद्युत क्षेत्र पर ध्यान देने हेतु एक अलग से विद्युत क्षेत्र बजट। • जिला योजनाओं को कर्ज सृजन अंतरण के बिना वित्तपोषण उपलब्ध कराने हेतु उसके तौर-तरीके तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाएगी। • मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्षस्तरीय ढांचे की स्थापना की जाएगी जो यह देखेगा कि दोनों राजधानी शहरों में बुनियादी सुविधाओं का विकास अंतरराष्ट्रीय मानकों के समान हो रहा है। • एक समिति गठित करने का प्रस्ताव है जो नए कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना हेतु कानून, प्रशासनिक एवं नीतिगत प्रस्तावों पर अपनी सिफारिशें देगी। • छोटा समूह बनाना जो निष्क्रिय आस्तियों को बेचने का कार्य प्रायोगिक आधार पर	• अगले दो वर्ष में विद्युत विकास निगम को सार्वजनिक करना और राज्य सरकार की इक्विटी को कम करके 51 प्रतिशत करना। • राज्य विद्युत व्यापारियों सहित स्वतंत्र विद्युत निर्माताओं एवं लाइसेंसधारकों को संचार प्रणाली की खुली छूट होगी। • उचित मानदंडों के आधार पर वितरण क्षेत्र / अंचल बनाए जाएंगे और तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानि का मूल्यांकन करने के लिए ऊर्जा की लेखा-परीक्षा की जाएगी।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	क्योंकि जोखिम भारित प्रावधानीकरण उसकी पूंजी पर्याप्तता को कम करेगी और नई पूंजी लगाने की जरूरत पड़ेगी। • कर प्रशासन में सुधार लाने हेतु लखनपुर में एक नया पथकर प्लाज़ा बनाया जा रहा है जिससे रात-दिन माल की आवाजाही सहज हो सकेगी। • सरकार के लेनदेन के मामले में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण प्रणाली प्रारंभ करना ताकि सरकार से निजी संपर्क कम हो और उसे गैर-निजी बनाया जाए। • वित्त पर निगाह रखने हेतु ओवरड्राफ्ट को दो भागों में बांटने का प्रस्ताव - एक केवल अर्थोपाय सुविधा हेतु और दूसरा विद्युत के लिए होगा जिसमें विद्युत से संबंधित प्राप्तियां और व्यय को इसी खाते में डाला जाएगा।	करेगा और यह देखेगा कि ऐसी खराब आस्तियों के लिए बाजार है कि नहीं। • जम्मू और कश्मीर अल्पसंख्यक विकास निगम की स्थापना करना जो विभिन्न कारोबार/ गतिविधियों में रोजगार के अवसर को बढ़ावा देगी, अल्पसंख्यकों के पुनर्वास तथा विकास के लिए स्वरोजगार कार्यक्रमों को प्रायोजित करके उद्यमिता को बढ़ावा देगी। • जम्मू और कश्मीर बैंक के साथ मिलकर एक कार्यदल का गठन किया जाएगा जो भ्रष्टाचार को कम करने के तरीके बताएगा।	
11. झारखंड	• 1 अप्रैल 2006 से राज्य में वैट लागू करने का निर्णय लिया गया है।	• भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण तथा भूमि नक्शों के डिजिटलाइजेशन की योजना । • राज्य में निवेश करने के इच्छुक उद्योगपतियों को जमीन उपलब्ध कराने हेतु 'भूमिबैंक' की स्थापना करना। • राजकोषीय अध्ययन हेतु एक केंद्र का गठन जिसके दो स्कंध होंगे i)राजकोषीय आयोजना और विश्लेषण कक्ष और ii)ऋण और निवेश प्रबंध कक्ष।	• राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गई। • ग्रामीण क्षेत्रों में जहां एक किलोमीटर के भीतर कोई स्कूल नही थे, वहां अध्ययन गारंटी केंद्र खोले गए हैं। • राज्य में सभी लड़कियों को स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा देने हेतु योजना बनाई गई है। • सार्वजनिक निजी भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से राज्य में बुनियादी संरचना विकसित करने पर जोर। • राज्य सरकार ने राज्य में स्नातक या उससे ऊपर की डिग्री वाले सभी जन जाति युवकों को सरकारी नौकरी देने का निश्चय किया है। • राज्य के जनजाती क्षेत्रों में भूख और सूखे दोनों समस्याओं से निपटने के लिए 1500 'ग्राम अनाज बैंक' की स्थापना की जाएगी।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
12. कर्नाटक	• कृषि आयकर से प्रत्येक किसान को मुक्त रखना उस अधिनियम से जो केवल कंपनी तथा फर्मों के लिए ही लागू हैं। • छोटे और सीमांत किसानों द्वारा बैल और बैलगाड़ी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत की सब्सिडी देना। • सभी प्रकार के भवनों एवं अन्य निर्माण लागतों पर 1 प्रतिशत उपकर लगाकर कल्याण निधि का सृजन करना। एक राज्य कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा जो इस निधि का इस्तेमाल निर्माण कामगारों के फायदे के लिए करेगा। • ग्रामीण खेलकूद तथा ग्रामीण प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की सहायता के लिए ग्रामीण खेलकूद निधि बनाना। • भाग्य जोति और कुटीर ज्योति गृहस्थ जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनके 31 मार्च 2006 को बकाया बिजली बिलों को माफ कर दिया जाएगा और उनके कनेक्शन में मीटर लगाया जाएगा। • मुफ्त बिजली से चल रहे अनधिकृत पानी के पम्पों को नियमित करने का प्रस्ताव है ताकि सही तरीके से जबाबदेही निश्चित की जा सके। यदि पंप सेटों में मीटर लगाया जाता है तो खर्च का अधिक हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। • मुस्तैद ग्राम पंचायतों के लिए बिजली की लागत बचाने हेतु तथा उन्हें समय पर बिजली की रकम भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दोनों उद्देश्यों से उन पंचायतों को 25 प्रतिशत बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो अपने बिल नियत तारीख के भीतर अदा कर देती हैं।	• एक विशेषज्ञ कार्यदल का गठन करना जो राजस्व की वसूली में सुधार, राजस्व के लीकेज की रोकथाम करने और योजना से इतर व्यय को 5 प्रतिशत कम करने के लिए एक निश्चित कार्ययोजना बनाएगा। • वित्त विभाग में एक स्त्री-पुरुष कक्ष स्थापित करना जो यह देखेगा कि महिलाओं के लिए कितनी राशि है और संसाधनों का आबंटन और व्यय कितना है तथा नीतिगत बाध्यताओं का उचित उपयोग हो। • कृषि प्रणाली के व्यापक अध्ययन के लिए कृषि विशेषज्ञों की समिति स्थापित की जाएगी जो कृषि क्षेत्र में पुनः सक्रियता लाने तथा उसके आधुनिकीकरण के बारे में सिफारिशें देगी। • धर्मादाय विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में मंदिरों के प्रभावी प्रबंधन हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन करना। • धरोहर मंदिरों के नवीकरण और सुरक्षा के लिए 'कर्नाटक संस्कृति संरक्षण प्राधिकरण' की स्थापना करना। • अजा/अजजा को ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पृथक 'कर्नाटक अनुसूचित जनजाति विकास निगम' की स्थापना करना। • लघु सिंचाई कार्यों में प्रगति पर नज़दीक से निगाह रखने के लिए विशेषज्ञों पर आधारित एक उच्च स्तरीय समिति बनाना। • एक नई औद्योगिक नीति बनाई जाएगी जो 2006-2011 अवधि के लिए औद्योगिक विकास का खाका प्रस्तुत करेगी। • बेंगलूर में वाहन पार्किंग स्थल की योजना बनाने और उनके विकास के लिए बेंगलूर महानगर पार्किंग प्राधिकरण की स्थापना।	• कृषि क्षेत्र में त्वरित विकास हेतु 'पंचसूत्र कार्यक्रम' जिसमें शामिल है - मिट्टी की सुरक्षा और अच्छी स्थिति बनाए रखने के उपाय, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ऋण की समय पर उपलब्धता, फसल कटने के बाद की प्रोसेसिंग तथा तकनीकों को प्रयोगशाला से हटाकर भूमि के इस्तेमाल में लाना। • 'सुवर्ण कृषि होंडा' कार्यक्रम प्रारंभ करना जिसके अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों की जमीन में 50,000 कृषि तालाब बनाने का प्रयास। • शिमोगा में आर्गेनिक खेती से संबंधित उन्नत अनुसंधान केंद्र स्थापित करना। • नया पशुचिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने का प्रस्ताव। • अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए नए हास्टल खोलना। • विभेदक ब्याज की योजना प्रारंभ करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अजा एवं अजजा समुदाय को विकास ऋण कम ब्याज दर पर मिलता है। केएसएफसी 4 प्रतिशत की दर पर ऋण उपलब्ध करवाएगा। • सुवर्ण सुरक्षा नामक नई योजना प्रारंभ करना जिससे गरीबी की रेखा के नीचे सभी भूमिहीन कृषि मजदूरों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा मुहैया की जा सकें। • गरीबी रेखा से नीचे परिवार की उन सभी लड़कियों को साइकिल उपलब्ध कराना जो 8 वीं कक्षा में हैं ताकि वे स्कूल से आसानी से आ और जा सकें। • उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग के मद्देनज़र सात जिलों तथा कनकपुर एवं करगोड़ में सरकारी प्रथम ग्रेड के महाविद्यालय स्थापित करना।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	• निर्यात किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे तेल के प्रवेश कर से छूट देना। • भारत के बाहर से आयातित विदेशी शराब की बिक्री हेतु भारतीय शराब के लाइसेंस धारकों पर से अतिरिक्त शुल्क समाप्त करना।	• सिंचाई क्षेत्र, बुनियादी सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में संसाधनों के उचित इस्तेमाल के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करना।	• 'भाग्य लक्ष्मी' नामक नया कार्यक्रम बनाया गया है जिसके अंतर्गत नवजात कन्या शिशु को 10,000 रुपए मिलेंगे जिसे वह ब्याज सहित 18 वर्ष की आयु होने पर प्राप्त कर सकती है। • 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों में वीरता की प्रवृत्ति को मान्यता देने हेतु लड़कों के लिए हौसला शौर्य प्रशस्ति तथा लड़कियों के लिए खिलाड़ी चेन्नम्मा प्रशस्ति की स्थापना करना। • आरटीओ कार्यालय जिनके पास पर्याप्त स्थान नहीं है उनके लिए 'चालक जांच स्थान' बनाना। • राज्य में अतिलघु उद्योग क्षेत्र के लिए विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में 25 खंड स्थापित करना। • बागान क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी करने हेतु 'रेशम वरदान योजना' नामक व्यापक योजना प्रारंभ करना। • 'बी-ट्रैक 2010' नामक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू करना जिसका लक्ष्य होगा यातायात की भीड़ को काफी कम करना जिसके लिए अत्यधिक आधुनिक तकनीकें, आधुनिक यातायात पुलिस तथा स्वतःचालित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
13. केरल	• वेतन संशोधन आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू करना। • नए पदों के सृजन पर कठोर नियंत्रण रखना। • वर्तमान केरल राजकोषीय जबाबदेही अधिनियम तथा सरकारी गारंटी अधिनियम से संबंधित केरल सीलिंग को संशोधित करना। • उपभोक्ताओं को बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु लाटरी का प्रयोग किया जाएगा।	• कृषि ऋण राहत आयोग का गठन किया जाएगा जो सरकार और वित्तीय संस्थाओं को ऋण राहत से संबंधित प्रस्ताव देगा। • कृषि आयोग का गठन किया जाएगा जो सरकार को कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उपाय तथा फसल उगाही हेतु न्यूनतम मूल्य निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव देगा। • नाबार्ड से प्राप्त ऋण पर निगरानी रखने के लिए विशेष कक्ष का गठन।	• क्वायर के लिए क्रय मूल्य योजना प्रारंभ की जाएगी। • चालू वर्ष से दीर्घकालिक शहरी विकास परियोजना कार्यान्वित करना। • राज्य स्तरीय विशेष कक्ष बनाया जाएगा जो राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन को कोई प्रस्ताव नहीं देगा।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	• उन व्यापारियों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होगा जिन्होंने इनपुट पर अदा किए जाने वाले कर को शामिल करके बिक्री मूल्य का निर्धारण किया है। • यह स्पष्ट प्रावधान करने का प्रस्ताव कि नकारात्मक पूंजीगत माल की सूची में शामिल माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति न दी जाए। • यह स्पष्ट प्रावधान करने का प्रस्ताव कि ऐसे पण्य जिस पर कर से बचा जा सकता है उस पर अग्रिम रूप से कर वसूली करना। • 20 प्रतिशत कर लगाए जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाने का प्रस्ताव और उस सूची में इस वर्ष गृहस्थों के उपयोग की उपभोक्ता वस्तुओं को शामिल करना। • रबड़ पर एकड़ के हिसाब से वार्षिक उपकर लगाने का प्रस्ताव। इससे प्राप्त राजस्व अलग रखा जाएगा और कीमत स्थिरीकरण निधि के रूप में इस्तेमाल होगा। एक उचित योजना बनाने के लिए रबड़ की खेती करने वालों के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी। • केबल ऑपरेटरों की आय पर 5 प्रतिशत विलासिता-कर लगाने का प्रस्ताव। • गतिविधि को प्रोत्साहन करने के लिए विदेश जानेवाले जहाजों की बंकरिंग पर लगनेवाले कर से छूट लेकिन इस गतिविधि पर 0.5 प्रतिशत लेवी लगाई जाएगी।	• सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन को पेशेवराना बनाने हेतु सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का गठन करना। • व्यापारी समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तर पर शिकायत कक्षों की स्थापना। इस संबंध में राज्य स्तर पर एक समिति भी होगी जो प्रमुख मुद्दों पर विचार करेगी। • जमाकर्ताओं की रक्षा हेतु कानून बनाने का प्रस्ताव । • उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कर संबंधी मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के लिए एक विशेष बेंच बनाने का प्रयास।	• राज्य में एक और आईआईटी स्थापित करने के लिए तुरंत कदम उठाना। • बेम्बानाड झील क्षेत्र के अंतर्गत कुट्टनाड क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए पर्यावरण बचाव परियोजना बनाई जाएगी। • मापिला कला को बढ़ावा देने हेतु 'मोहनकुट्टी वायडियर स्मृति केंद्र' में एक विशेष केंद्र शुरु किया जाएगा।
14. मध्य प्रदेश	• राज्य की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत व्यय आबंटन का इस्तेमाल कितने प्रभावी तरीके से किया गया इसका मूल्यांकन करने हेतु बजट परिणाम की परंपरा प्रारंभ करना। • राज्य में 1 अप्रैल, 2006 से वैट लागू करने का निर्णय।	• राज्य में लगातार हानि में रहने वाले मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम को बंद करना।	• राज्य में कृषि क्षेत्र हेतु उचित नीति, कार्यक्रम और कृषि विकास के उपाय के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कृषि आयोग का गठन करना। • दीन दयाल अन्त्योदय योजना की सुविधाओं को गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों को मुहैया कराने का निर्णय।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
			• राज्य में मध्य प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गई।
15. महाराष्ट्र	• वर्ष 2006-07 से, 12 विभागों से संबंधित कम से कम कतिपय ध्वज-पोत योजनाओं हेतु आउटकम सहित लिंक-आउटले प्रायोगिक आधार पर। • ऊर्जा अंकुर निधि नामक निधि बनाना जो जनसामान्य तथा निजी भागीदारी के माध्यम से गैर-परंपरागत ऊर्जा शक्ति में निवेश करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी। • राज्य में कपास उगाने वाले सभी किसानों को 2 हेक्टेअर तक 100 रुपए प्रति हेक्टेअर की दर से वित्तीय सहायता के रूप में राहत देने हेतु राशि स्वीकृत कर दी गई है। • लाटरी टिकट पर कर लगाने हेतु नया विधेयक तैयार किया जाएगा और विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा। • सभी हक विलेख जमा का पंजीकरण प्रारंभ करना ताकि बैंकों और नागरिकों के हित की रक्षा की जा सके। • महाराष्ट्र से बाहर रहने वाले दलालों द्वारा प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद से संबंधित लेनदेन पर स्टाम्प शुल्क से छूट। • सरकारी प्रतिभूति की बिक्री अथवा खरीद पर उस मामले में शुल्क से छूट जब लेनदेन मूल से मूल आधार पर हुआ हो। • कंप्यूटरीकृत स्टैंप शुल्क प्रशासन प्रणाली (सीएसएएस) क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है ताकि नकली स्टैंप के परिचालन की रोकथाम हो तथा समय-समय पर स्टैंप की कमी न होने दी जाए। • सिंचाई और गैर-सिंचाई प्रयोजनों के लिए पानी की दरों में वृद्धि करना।	• एक अध्ययन दल का गठन करने का प्रस्ताव है जो विभिन्न अधिनियमों, नियमों और विनियमावली के अंतर्गत उद्योग व्यापार अथवा पेशेवरों द्वारा अपेक्षित कर से इतर सभी प्रकार के पंजीकरण तथा लाइसेंस की समीक्षा करेगा। • एक लघु समूह गठित करने का प्रस्ताव है जो इस वर्ष के सभी आयोजना से इतर योजनाओं की समीक्षा करेगा तथा बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए किस प्रकार व्यय करे। • निवेशकों के लिए सहज नीतियां घोषित करने का प्रस्ताव है जिससे औद्योगिक निवेश बढ़ाया जाएगा तथा आधुनिक भौतिक एवं सामाजिक बुनियादी सुविधाएं सृजित करने को बढ़ावा मिलेगा। • मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति गठित की गई है जो कैबिनेट द्वारा अनुमोदित सीमा में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रयोज्य पैकेजों के बारे में निर्णय करेगी। • महाराष्ट्र मानव विकास मिशन की स्थापना करना ताकि इस असमानता को एकजुट प्रयास से कम करना तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधाएं जुटाकर तथा न्यून मानव विकास सूचकांक के साथ जिले में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना।	• एकीकृत शिशु विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ियों में अनुपूरक आहार की आपूर्ति के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों और महिला मंडलों को शामिल किया जाएगा। • विदर्भ क्षेत्र के कपास की खेती करने वालों के लिए एक विशेष योजना लागू करना जिसमें यह प्रस्ताव है कि कपास एकाधिकार योजना के अंतर्गत बनाई गई पूंजी निर्माण निधि को किसानों को ब्याज के साथ वापस की जाए। • आर्थिक रूप से पिछड़ी श्रेणी के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना। • पारधी जनजाति के लिए एक विशेष योजना बनाई जाएगी जिसमें जमीन, गृह निर्माण का प्रावधान होगा, उनके बच्चों को विशेष शिक्षा देना सुनिश्चित करना ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। • राज्य में वन तथा वृक्ष बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं लाई जाएंगी। • आगामी पर्यटन नीति में सिंधुदुर्ग जिला के लिए विशेष पैकेज देने का प्रस्ताव।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
16. मणिपुर	• राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) की सहायता से 6 तिजोरियों को कंप्यूटरीकृत करना ताकि संसाधनों और व्यय के प्रवाह पर प्रभावी रूप से निगरानी रखी जा सके। • स्थानीय निधि लेखापरीक्षा तथा अन्य विभागों की लेखा इकाइयों को पुनः संगठित करके वित्तीय लेखा परीक्षा को नए तरीके से सक्रिय करना।	• भारतीय विद्युत (मणिपुर संशोधन) विधेयक 2006 पारित करना ताकि बिजली की चोरी तथा बिजली संबंधी अपराधों के लिए दंडात्मक कार्रवाई की जा सके।	• उखरूल में आईटीआई का निर्माण। • सेनापति में एक हायर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना करना।
17. मेघालय	• जल उपयोक्ता संगठनों के माध्यम से उनके प्रभाव क्षेत्र के फायदा उठाने वालों से जल की न्यूनतम दर वसूलना और उक्त संगठनों को परियोजना के रखरखाव एवं परिचालन का काम सौंपना। • कुछ चुनिंदा पशु अस्पतालों में पंजीकरण शुल्क लागू करने का प्रस्ताव। • कर और कर से इतर राजस्व वसूली की वर्तमान प्रणाली को सुदृढ़ और व्यवस्थित करना तथा इस प्रणाली में लीकेज एवं खामियों को समाप्त करना। • राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले बकायों की वसूली के लिए पर्याप्त उपाय करना। • अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए नए कर लगाने एवं समायोजन करने, जो कानून के अंतर्गत स्वीकार्य हो, की संभाव्यता का पता लगाना।	• सहकारी ऋण संरचना के पुनरुत्थान के लिए एक कार्य योजना इसी वर्ष कार्यान्वित की जाएगी।	• गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से 160 ग्रामों को बिजली देने का प्रस्ताव। • 8 गाद रोक बांध के निर्माण सहित महानगर शिलांग डब्ल्यू एस एस हेतु 'उमियू' नदी के जल स्रोतों को बनाए रखने की परियोजना।
18. मिज़ोरम	• मीटर रीडिंग के आधार पर जल-प्रभार का मूल्यांकन • सड़कों और पुलों पर पथकर लगाना। • लघु सिंचाई के संबंध में चुनिंदा क्षेत्रों में जल-कर की वसूली करना।		
19. नागालैंड		• अल्प विकसित और अधिक विकसित क्षेत्रों के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए विकासशील क्षेत्रों के लिए एक नया विभाग बनाना। • नागालैंड कोयला नीति, 2006 तथा नागालैंड कोयला खनन नियम, 2006	• नागालैंड में पहली बार अपने तरीके का केंद्रीय बागान संस्थान की स्थापना करना। • योजना आयोग के 'सैद्धांतिक' अनुमोदन से तुली पेपर मिल को पुनः शुरु किया जाएगा।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
		बनाए गए ताकि यह देखा जा सके कि प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधनों का विकास समुचित रूप से हो रहा है और उनका इस्तेमाल लोगों के फायदे के लिए किया जा रहा है। • नागालैंड राज्य महिला सशक्तीकरण नीति का प्रारुप विचाराधीन है। • राज्य महिला आयोग का गठन किया जा रहा है ताकि उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके और उनके सशक्तीकरण को बढ़ावा मिले।	• एकीकृत बुनियादी सुविधा विकास केंद्र की दो परियोजनाएं कोहिमा तथा मोकोकचंग जिले में लागू की जाएंगी। • और भी विविध प्रकार के अकादमिक पाठ्यक्रम जिनमें युवकों के लिए रोजगार की संभाव्यता हो, की आवश्यकता को समझते हुए राज्य में दो विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे भारतीय सनदी वित्तीय विश्लेषक संस्थान (नागालैंड) विश्वविद्यालय तथा वैश्विक मुक्त (नागालैंड) विश्वविद्यालय।
20. उड़ीसा	• अधूरी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना।		• शिशुओं की मृत्यु में कमी की मुहिम के माध्यम से ''नवज्योति'' नामक नया कार्यक्रम लागू किया जाएगा।
21. पंजाब	• पीएसआईडीसी के माध्यम से बाण्ड जुटाना जिससे औद्योगिक नीति के अंतर्गत 1997-2002 के दौरान उद्योगों के प्रवर्तकों को 3-4 वर्ष तक सब्सिडी का भुगतान किया जा सके। • शहरी स्थानीय निकायों के साथ यह परामर्श जारी है कि आक्ट्रॉय को समाप्त करने तथा राजस्व के वैकल्पिक स्रोत के लिए क्रियाविधि को अंतिम रूप दिया जाए। • उद्योग विभाग के ब्याज मुक्त ऋण जो देय हो चुके हैं, उनपर दंडात्मक ब्याज माफ करते हुए उनकी वसूली करना। • एक वर्ष तक विशेष छूट देना ताकि न्यूनतम 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली अति बृहत निर्माण इकाइयां आकर्षित हो सकें। • सितंबर 2005 से कृषि पंपिंग सेट को मुफ्त बिजली देना ताकि ऐसे किसानों को राहत मिल सके जिनके उत्पाद के मूल्य स्थिर हैं और इनपुट की लागत बढ़ गई है। • अनुसूचित जनजाति परिवारों के घरों के लिए मुफ्त बिजली की सीमा 50 यूनिट से	• पंजाब ग्रामीण कारोबार हब परिषद का गठन जो हब के लिए स्थान का और उत्पाद-स्वरुप का निर्धारण करेगी। • कपास प्रसंस्करण तथा सूतीवस्त्र टेक्सटाइल के विकास के लिए टेक्सटाइल नीति को अंतिम रूप देना। • 1984 के दंगों के पीडितों के लिए भारत सरकार ने पुनर्वास पैकेज की घोषणा की है। • माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद, सड़क सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं पर ध्यान देगी। • राज्य वेतन आयोग का गठन जो उसके कर्मचारियों के वेतनमान और परिलब्धियों की समीक्षा करेगा अतः पांचवां पंजाब वेतन आयोग के गठन और उसके लागू होने की शर्त की घोषणा की जाएगी।	• छोटे किसानों के लिए कृषि नवीकरण कार्यक्रम लागू करना जिसमें कमर्शियल डेरी, कमर्शियल पोल्ट्री, मत्स्य इकाई और सब्जी उत्पादन शामिल है। • छुट्टे जानवरों को जगह देने के प्रयोजन से नए और वर्तमान गौशाला को अनुदान देने की नई योजना। • वन के संरक्षण के लिए बाहरी सहायता से वन विकास परियोजना। • जल प्रबंधन में जल उपयोक्ताओं को शामिल करना ताकि जल का इस्तेमाल कौशलपूर्ण तरीके से हो और आस्तियों का अनुरक्षण किया जा सके। • औद्योगिक संगठनों, वित्तीय संस्थाओं तथा पंचायतों के साथ मिलकर 6 ग्रामीण कारोबार हब बनाना। • ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता हेतु विश्व बैंक की एक परियोजना शुरू की जाएगी। • एक नया जिला बनाना जिसका मुख्यालय एस.ए.एस. नगर होगा तथा महानगर मोहाली को विश्व स्तर के शहर के रूप में विकसित करना।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	बढ़ाकर 200 यूनिट प्रति माह करना। पीएसईबी को इस नुकसान की भरपाई राज्य सरकार कर रही है। • संपूर्ण सड़क परिरक्षण निधि बनाना जिसमें प्रतिवर्ष की दर से परिव्यय होगा जो अगले 4 वर्ष अर्थात 2009-10 तक होगा, उसके बाद आबंटन की समीक्षा की जाएगी। इस निधि का इस्तेमाल राज्य सड़क के रखरखाव को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा तथा रखरखाव निष्पादन आधारित होगा और उसका करार लंबे समय 5 से 10 वर्ष तक होगा।		• अंतरराष्ट्रीय युवक हास्टल संगठन तथा सुधार न्यास, अमृतसर के साथ मिलकर एक 'पर्यटक केंद्र' स्थापित करना। • पंजाब में 'राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय' की स्थापना करना। • शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सुधार की सिफारिश करने के लिए एक शिक्षा आयोग गठित किया जाएगा। • हेपाटाइटिस-बी और डेंगू बुखार को रोकने हेतु नई योजना प्रस्तावित है। • नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित योजना से 150 चलते-फिरते दवाखाना और 150 चलते-फिरते पशु चिकित्सा वैन लाए जाएंगे। • राज्य के लगभग 300 गांवों में ग्राम-ज्ञान केंद्र की स्थापना करना।
22. राजस्थान	• स्त्री पुरुष बजटिंग और आडिटिंग के अंतर्गत अधिक विभागों को लाया जाएगा। • राज्य की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत व्यय आबंटन का इस्तेमाल कितने प्रभावी तरीके से किया गया इसका मूल्यांकन करने हेतु 'बजट परिणाम' की परंपरा प्रारंभ करना। • 1 अप्रैल, 2006 से राज्य में वैट लागू करने का प्रस्ताव। • राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु बिजली पर अदा किए जाने वाले शुल्क से सीमित बिजली उत्पादन को मुक्त रखने का प्रस्ताव। • वायु प्रदूषण रोकने के लिए पुराने वाहनों पर 'ग्रीन टैक्स' लगाने तथा उनके उपयोग को हतोत्साहित करने का प्रस्ताव।	• राजस्थान भूमि जल विनियमावली तथा विकास नियंत्रण एवं प्रबंधन विधेयक, 2006 विधान सभा में प्रस्तुत किया जाएगा ताकि राज्य में जमीनी पानी पर नियंत्रण रखा जा सके और उनका उचित इस्तेमाल किया जा सके।	• दोपहर के भोजन की योजना के बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण के लिए निगरानी यूनिट का गठन और तदनुसार इस संबंध में पृथक निदेशालय का भी गठन किया जाएगा। • राज्य में भवनों / ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की सुरक्षा हेतु धरोहर सुरक्षा और संवर्धन बोर्ड का गठन किया जाएगा। • सरकार व निजी भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से राज्य में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर जोर। • राजस्थान जल-पहल की स्थापना की जाएगी ताकि जल संसाधन का व्यापक इस्तेमाल हो और जल प्रबंधन की तकनीक का भी विकास हो।
23. सिक्किम	• राजकोषीय दबाव को कम करने के लिए राज्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों	• विशेष वातायन 'पर्यटन प्रभाव अध्ययन' के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा नियमित	• भारत में सभी प्रमुख बुद्ध गंतव्यों एवं पड़ोसी देशों को एक दूसरे से जोड़कर

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	की सेवाएं बढ़ाने पर बिना किसी शर्त के प्रतिबंध होगा। • रिक्त सभी पदों को समाप्त कर दिया जाए ताकि सरकार का आकार और उसपर व्यय कम होगा। • ज्ञान और विचारों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया को बढ़ावा देने हेतु 'सिक्किम निष्पादन लेखा परीक्षा निधि' बनाई जाएगी जिसका प्रबंधन सूचना एवं सार्वजनिक संपर्क विभाग करेगा। • 'बौद्धिक उन्नति राशि' की स्थापना हेतु लोगों में से महत्वपूर्ण बौद्धिक जन तैयार करना। इसका इस्तेमाल सिक्किम की नई पीढ़ी को देश में और देश के बाहर उन्नत ज्ञान अर्जित करने के लिए किया जाएगा। • प्रौद्योगिकी का सर्वाधिक इस्तेमाल करने हेतु प्रौद्योगिकी विकास भंडार नामक निधि समूह गठित करना जो व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सहायता प्रौद्योगिकी की संभावनाओं का पता लगाने, प्राप्त करने, जांच करने और प्रसार करने के लिए करेगा और जो सिक्किमवासियों के विकास के लिए लाभकारी होगा। • गैर-योजना व्यय में 10 प्रतिशत की कटौती करना तथा सभी सरकारी खर्चों पर सख्त किफायती उपाय करना। • विभिन्न प्रकार के आर्थिक नुकसान (लीकेज) को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ाना और कतिपयसेवाओं के और वस्तुओं के सेट पर कर लगाना। • उपयोक्ता प्रभार शुरू करने के लिए समवर्ती उपाय किए जाएंगे और यह विधिवत सुनिश्चित किया जाएगा कि दी गई सेवाओं की गुणवत्ता उच्चस्तरीय हो।	अध्ययन, निगरानी तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू करना। • महानगरपालिका विधेयक के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है।	गंगटोक के पर्यटन सर्किट उद्यम को समाप्त करना। • सिक्किम में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना करना जिसमें निर्यात करने वाली निर्माण इकाइयों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं, सहूलियतें और शुष्क पोर्ट होंगे। • राज्य में खाद्य प्रसंस्करण की स्थापना हेतु नई पहल करना।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
24. तमिलनाडु	• सहकारी बैंकों की कुल ऋण देयता 1668 करोड़ रुपए को नाबार्ड ने ले लिया है। • फसल ऋण पर ब्याज दर जो पिछले वर्ष तक 9 प्रतिशत थी उसे चालू कुरुवी मौसम से घटाकर 7 प्रतिशत किया जाएगा। 2 प्रतिशत ब्याज घटाने से सहकारी बैंकों को होने वाले नुकसान को सरकार पूरा करेगी। • सभी परिवार कार्डधारकों को 2 रुपए प्रति किलो चावल का वितरण किया जाएगा जो पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सबसे सस्ता होगा। खाद्यान्न सब्सिडी 1950 करोड़ रुपए होगी। • सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक की रिक्तियों की भविष्य में भर्ती केवल उस समय के वेतनमान पर की जाएगी। • कंप्यूटर निर्माण हेतु तमिलनाडु में फैक्ट्री लगाने के लिए आने वाली कंपनियों को विशेष रियायत प्रदान की जाएगी। • जिन गृहस्थों के पास रंगीन टेलीविजन नहीं हैं उन्हें रंगीन टेलीविजन मुफ्त देने की योजना प्रारंभ की जाएगी। • स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत दिए गए कृषि बिजली 2.4 लाख कनेक्शन को अब बिजली मुफ्त दी जाएगी। • शहरी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जर्मनी सरकार की वित्तीय संस्था के एफ डब्ल्यू से 70 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता लेने का प्रस्ताव है। • हथकरघा बुनकरों जिनके स्वयं के कार्यशेड हैं और जो बुनाई के काम में लगे हुए हैं, उन्हें दो महीने में 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसी प्रकार उन	• तीसरा पुलिस आयोग गठित करना जो पुलिस की शिकायतें दूर करेगा और पुलिस विभाग का कायाकल्प करेगा। • उद्योग और वाणिज्य संगठन के परामर्श से एक नई औद्योगिक नीति चालू वर्ष में ही घोषित की जाएगी। • उद्योगों को बाधा रहित तरीके से बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यदल गठित किया जाएगा जिसमें उद्योग और वाणिज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल होंगे। • सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में नई नीति बनाना। • सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए एक राज्य सूचना प्रौद्योगिकी कार्यदल बनाया जाएगा जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे और जो बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं का पता लगाएंगे। • अधिकारियों की एक समिति बनाना जो औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने हेतु दी जाने वाली पूंजीगत सब्सिडी के लिए औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण करेगी। • तिरुपुर नगरपालिका का उन्नयन करके तिरुपुर महानगरपालिका बनाया जाएगा। • असंगठित श्रमिकों के नौ कल्याण बोर्ड बनाए जाएंगे जो उनके लिए सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण योजनाएं उपलब्ध कराएंगे। • सामाजिक सुधार नीतियों को कार्यान्वित करने हेतु सरकार को सलाह देने के लिए समाजशास्त्रियों की एक स्थायी समिति बनाई जाएगी।	• फसल कटने के बाद होने वाले नुकसान से बचने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को उनके दाम मिलें, चेन्नै, कोयम्बतूर और मदुरै में तीन टर्मिनल बाजार बनाए जाएंगे जिनमें सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे-विश्व स्तरीय वसूली केंद्र, पूर्व प्रशीतन उपकरण, छंटनी और दवाओं की सुविधा तथा इलेक्ट्रॉनिक नीलामी उपलब्ध होंगी। • प्याज, आम तथा अंगूर के लिए बाजार की बुनियादी सुविधाएं तथा कोल्डस्टोरेज सुविधा मुहैया कराई जाएगी ताकि इन कृषि उत्पादों का निर्यात सहजता से हो सके। • सरकार की पोराम्बोक परती भूमि को जोत वाली भूमि में विकसित किया जाएगा और भूमिहीन गरीब किसानों को प्रत्येक को दो एकड़ जमीन दी जाएगी। • पशु महाविद्यालय और नमक्कल अनुसंधान संस्थान में एवियन रोग का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला बनाई जाएगी। नागपट्टिनम, करुर, विरुधनगर तथा कृष्णागिरि जिला में पशु रोग आसूचना इकाइयां स्थापित की जाएंगी। • सिंचित कृषि आधुनिकीकरण तथा जल संसाधन प्रबंध परियोजना को तेजी से कार्यान्वित करने हेतु बहुविधा परियोजना इकाई गठित की गई है। • चैन्नै शहर के निचले इलाकों के घरों को बारिश के मौसम में डूबने से बचाने तथा पानी के तेज बहाव को समुद्र में ले जाने के लिए बाढ़ बचाव कार्य हेतु केंद्र सरकार तथा नाबार्ड की वित्तीय सहायता से एक योजना बनाने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करना।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	पावरलूम बुनकरों को दो महीने में 500 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी जो स्वयं के पावरलूम चला रहे हैं। • ऐसे शिक्षित युवकों को मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी जिन्हें रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कराने की तारीख से पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी रोजगार नहीं मिला है। • मछुआरों के लिए डीजल की मात्रा बढ़ाना जिस पर उन्हें बिक्री कर की छूट प्राप्त है। • एक विशेष राज्य सहायता योजना जिससे अदी द्रेविडर तथा जनजातीय समुदाय के अधिक से अधिक लोगों को आय अर्जन योजना के अंतर्गत फायदा पहुंच सके। • फिल्म उद्योग तथा तमिल भाषा को बढ़ावा देने हेतु ऐसी नई फिल्म को मनोरंजन कर से पूरी छूट होगी जिसका नाम तमिल में होगा। • सभी सरकारी विभागों में निश्चित समय के भीतर खाली पदों को भरने के लिए कदम उठाना। • सरकारी विभाग में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति करना किंतु प्राथमिकता सरकारी कर्मचारी के कानूनी वारिस को दी जाएगी। • सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के आगामी पोंगल त्योहार के दौरान बोनस, विशेष तदर्थ बोनस तथा पोंगल उपहार दिया जाएगा। • 5वें वेतन आयोग के लागू हो जाने से जो सरकारी कर्मचारी 1.8.2006 को नौकरी में थे और बाद में सेवानिवृत्त हो गए, उन्हें वेतन संशोधन की बकाया राशि तीन बराबर किस्तों में वार्षिक आधार पर इसी वित्तीय वर्ष से नकद अदा की जाएगी।	• लाल फीताशाही को समाप्त करने के लिए सिफारिशें देने हेतु विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों पर आधारित एक प्रशासनिक सुधार समिति गठित की जाएगी।	• 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के परिवार को जाति प्रमाणपत्र, जन्मस्थान प्रमाणपत्र तथा आय प्रमाणपत्र जारी करने की योजना । • अण्णा विश्वविद्यालय, चेन्नै के समान तिरुची तथा कोयम्बतूर में दो तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित करना। शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कोयम्बतूर जिला के वालपराई तथा सेलम जिला के मेट्टुर में दो कला और विज्ञान महाविद्यालय स्थापित करना। • मदुरै कामराज विश्वविद्यालय में शैक्षिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। • रोग का पता लगाने के लिए पूरे राज्य में एमआरआई स्कैन सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु तिरुनेलवेली, तंजौर, तिरुची, कोयम्बतूर तथा वेल्लोर के सरकारी अस्पतालों में एमआरआई स्कैन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। • उन जिलों में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे जिनमें नहीं हैं। • राज्य में 'औद्योगिक उत्कृष्टा स्थान' पैदा करना। इन उत्कृष्ट स्थानों के साथ औद्योगिक पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क तथा समेकित टाउनशिप बनाई जाएगी जिन्हें एक्सप्रेस हाइवे एवं रेलवे लाइन से हवाई अड्डों तथा जलपोतों को जोड़ा जाएगा। • चेन्नै में आवास और बुनियादी सुविधाओं की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए चेन्नै के निकट एक सेटेलाइट टाउन बनाने का प्रस्ताव है। • रामनाथपुरम जिला में गांवों तथा शहरों में कई वर्षों से पीने के पानी की समस्या को हल करने हेतु कावेरी नदी का पानी

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	• पूरी पेंशन पाने के लिए सेवाकाल की अर्हता 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष की जाएगी। • सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का निर्धारण पिछले 10 महीने की केवल सेवा के औसत वेतन के 50 प्रतिशत के बजाय अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत अथवा पिछले 10 महीने के औसत वेतन का 50 प्रतिशत होगा। • राज्य में 1 जनवरी, 2007 से वैट प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव । • व्यापारी जो राज्य के भीतर खरीद और बिक्री कर रहे हैं उन्हें राज्य अधिनियम के अंतर्गत 10 लाख तक की खरीद और बिक्री पर पंजीकरण और कर देने से छूट होगी। • दाल और तेल पर बिक्री कर से छूट। • राज्य में हजारों चाय उत्पादन करने वाले छोटे उत्पादकों तथा निर्माताओं को फायदा पहुंचाने के लिए सामान्य बिक्री कर 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत तथा केंद्रीय बिक्री कर को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया जाएगा। इन नीलामी केंद्रों पर की गई बिक्री पर अतिरिक्त कर और अधिभार से छूट होगी। • औद्योगिक प्रोत्साहन के रूप में 90 प्रतिशत कर की वापसी 13.5.2002 से 03.04.2005 तक कर माफ करके की जाएगी। • किसानों और अत्यंत छोटे उद्यमियों को बंधक/ दृष्टिबंधक दस्तावेजों पर स्टैंप शुल्क से छूट होगी। • कई वस्तुओं जैसे यार्न, समबिरानी, उड़ने वाली राख को बिक्री कर से छूट। • 1 जनवरी, 2007 से पुनः बिक्री कर को समाप्त कर दिया जाएगा।		लाने की प्रमुख योजना पर कार्य इसी वर्ष शुरू किया जाएगा। • मातृत्व सहायता प्रदान करने की विशेष योजना लागू की जाएगी जिसमें कुछ छह महीने की वित्तीय सहायता होगी जिसमें 3 महीने जनकीय तथा 3 महीने जन्मपूर्व की अवधि शामिल होगी इससे गरीब गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार मिलेगा और गर्भधारणा की अवधि के दौरान उनके आय में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति भी होगी। • कन्याकुमारी जिले में कोलाचेल में एक नया मत्स्य हार्बर बनाया जाएगा।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
25. त्रिपुरा	• नियत वेतन पाने वाले कर्मचारियों को रेगुलर वेतनमान देने के लिए सरकार कदम उठाएगी। • एसडब्ल्यू और एसई द्वारा परिणाम विवरण की, जिसमें महत्वपूर्ण उपलब्धियां तथा परिव्यय का इस्तेमाल दिया होगा, निगरानी की जाएगी ताकि बाद के वित्तीय वर्ष के बजट दस्तावेज में उसे आसानी से शामिल किया जा सके। • भवनों के रखरखाव के लिए नीतिगत निर्णय लिया गया है कि संबंधित विभागों के बजट में धन उपलब्ध करवाया जाएगा। • 48,000 अनुसूचित जाति, 50,000 अन्य पिछड़े वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समूह के 8,800 विद्यार्थियों को वज़ीफा तथा डॉ.बी.आर. आंबेडकर स्मृति पुरस्कार। • कम से कम 200 अल्पसंख्यक बालिका विद्यार्थियों को विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार ताकि वे शिक्षा ग्रहण कर सकें। • एनएसएफडीसी के साथ मिलकर क्रेडिट लिंक योजनाएं प्रारंभ करना ताकि परिवार निरंतर आधार पर उचित आय पैदा कर सकें। • गरीबी रेखा से नीचे उन सभी व्यक्तियों को 1000/- रुपए प्रतिमाह की पेंशन देना जिनकी दृष्टि पूरी तरह से चली गई है। • सामाजिक कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही सीमावर्ती परियोजना हेतु मंत्रालय से दी जाने वाले अनुदान को बंद करना क्योंकि उसके संचालन के लिए वित्तीय जिम्मेदारी राज्य सरकार ने ले ली है।	• सचिवों की एक समिति गठित करना जो संबंधित मुद्दों की जांच करेगी तथा विभिन्न श्रेणी के अंशकालिक, नियत-वेतन, डीआरडब्ल्यू आदि कामगारों के वेतन/ परिश्रमिक की दरों में भिन्नता के संबंध में अपनी सिफारिशें देगी। • बागान के लिए भावी योजना जिसमें वर्ष 2006-07 के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे जैसे - बागान फसल के क्षेत्र को विस्तार देना, वर्मिंग कम्पोस्ट के प्रयोग को आगे बढ़ाना, अच्छी पौध सामग्री हासिल करना और उसकी आपूर्ति करना, कुकुरमुत्ता की खेती को प्रोत्साहित करना, आर्किड तथा अन्य ऊंचे मूल्य की चीजें, प्रशिक्षण सह-प्रदर्शन हेतु बुनियादी सुविधाओं का विकास। • प्रशासन को लोगों के निकट लाने के लिए सरकार ने दो नए उप प्रभाग बनाने का निर्णय लिया है - एक शंतिबाज़ार में और दूसरा तेलियामुरा में। • व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए यह निर्णय किया गया है कि विदेशी और स्वदेशी शराब की दुकानों की सभी फुटकर खरीद टेंडर प्रणाली से की जाए।	• एडूसैट नामक एक नई पहल शुरु की गई है जिसमें 50 स्कूलों में सेटेलाइट के माध्यम से एससीईआरटी, अगरतला से शिक्षकों के प्रशिक्षण और विद्यार्थियों की कोचिंग सीधे प्रसारण से की जाएगी। • सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा आरएम के लिए विशेष विकास पैकेज लागू किए जाएंगे। • समस्त ग्रामीण जनसंख्या के लिए अच्छा पीने का पानी मुहैया कराने हेतु एक मास्टर प्लान केंद्र सरकार के समक्ष धन देने के लिए प्रस्तुत किया गया है। • अगरतला कस्बे के लिए अपेक्षित मास्टर प्लान तैयार करने हेतु एजेंसी की सहायता लेने का कदम उठाया गया है।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	• और अधिक पारदिर्शता लाने और जवाबदेही निर्धारित करना और पीआरआई तथा स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करने के लिए एजी स्थापना में एक अलग यूनिट बनाना।		
26. उत्तरांचल	• राज्य में 'सरकारी एवं निजी भागीदारी' संकल्पना पर आधारित परियोजनाओं में तीव्रता लाने के लिए 'संयुक्त उद्यम कोष' बनाया गया है। • राज्य में अगले 5 वर्ष तक नए मल्टीप्लेक्स तथा सिनेमा हाल बनाने पर मनोरंजन कर से शत प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था की गई है। • गरीब लोगों की विकट बीमारियों का इलाज कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु 'बीमारी कोष' बनाया है। • वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग, खज़ाना तथा स्टैंप एवं पंजीकरण शुल्क कार्य को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है ताकि इसकी प्रणाली आसान और पारदर्शी हो। • कृषि ऋण पर स्टैंप शुल्क से छूट की सीमा 1.0 लाख रुपए से बढ़ाकर 3.0 लाख रुपए कर दी गई है।	• राज्य में 'स्त्री-पुरुष बजटिंग' तैयार करने हेतु कार्रवाई शुरु कर दी गई है। • राज्य में प्रशासनिक तथा सामान्य प्रबंधन सुदृढ़ बनाने हेतु 'प्रशासनिक सुधार आयोग' का गठन किया गया है। • प्रशासनिक प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए 'सूचना अधिकार आयोग' का गठन किया गया है। • राज्य में वित्त विभाग के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, तिजोरियों एवं नेटवर्किंग का विकास, पेंशन योजना आदि हेतु 'राजकोषीय प्रबंधन, अनुसंधान एवं विश्लेषण' इकाई स्थापित की जाएगी।	• राज्य में बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 'उत्तरांचल यूनिवर्सल रोजगार योजना' शुरू करने का प्रस्ताव है। • सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए सामाजिक सुरक्षा/स्वास्थ्य बीमा (अर्थात जनश्री) जैसी अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं। • राज्य की चाय उपज क्षमता का दोहन करने के लिए 'चाय विकास बोर्ड' बनाया गया है।
27. उत्तर प्रदेश	• राज्य के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत स्नातक अथवा स्नातकोत्तर बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय।	• निपटान परामर्शदात्री समिति का गठन करना जो विभिन्न विभागों में बकाया वाणिज्य कर, विद्युत शुल्क, फीस आदि पर ब्याज तथा दंडात्मक राशि को माफ करते हुए वसूली की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के तरीके के बारे में सिफारिश करना।	• राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू करने का निर्णय । • सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सूचनाओं का डिजिटलाइजेशन करना।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
28. पश्चिम बंगाल	• जूट उद्योग के आधुनिकीकरण तथा जूट उत्पाद के विविधीकरण के प्रयोजन से एक विशेष कोष बनाना। • जूट और चाय उद्योग के पुनरुत्थान के लिए इन उद्योगों को कर की अत्यधिक राहत का प्रस्ताव । • उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गरीब परिवारों से आनेवाले विद्यार्थियों की सहायता हेतु एक विशेष कोष बनाने का प्रस्ताव। • पश्चिम बंगाल अपीलीय तथा पुनरीक्षण बोर्ड के पास भारी मात्रा में केस लंबित होने के कारण, वाणिज्य कर के विशेष आयुक्त तथा अपर आयुक्त को, सीमित अवधि के लिए, इन केस को सुनने और निपटाने के लिए प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है। • व्यापारियों अपने विवाद सुलझाने का एक और मौका देना। व्यापारी जो 1 अप्रैल, 2003 और 31 अगस्त 2006 के बीच अपील दायर कर चुके या करने वाले हैं या दुबारा सुनवाई करवाना चाहते हैं वे अब विवाद कर का 40 प्रतिशत और 5 प्रतिशत विवाद ब्याज एवं दण्ड का भुगतान करके विवाद का निपटारा कर सकेंगे। • नामांकित व्यक्तियों को एक वर्ष के बजाय कई वर्ष के कर एक साथ जमा करने का विकल्प देने का प्रस्ताव। • चाय उद्योग को 01 अप्रैल 2006 से तीन वर्ष तक कृषि कर देने से छूट देने का प्रस्ताव तथा 31 मार्च 2006 तक चाय उद्योग द्वारा देय कृषि आयकर के बकायों के निपटान की योजना। • नगरपालिका क्षेत्र में अचल संपत्ति के अंतरण हेतु अंतरण विलेख पर स्टैंप	• शहरी क्षेत्रों के लिए लागू 'बांग्ला स्वनिर्भर कर्मसंस्थान प्रकल्प' को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी लागू करना। • व्यापारियों के साथ नियमित बातचीत के लिए वाणिज्य कर निदेशालय के मुख्यालय पर वाणिज्य कर आयुक्त की अध्यक्षता में एक परामर्शदात्री समिति गठित की गई है। इसी प्रकार की परामर्शदात्री समितियां दुर्गापुर और सिलिगुड़ी में गठित करने का प्रस्ताव है। • निपटान आयोग का गठन करके कतिपय प्रकार के विवादों के निपटाने हेतु एक नया तरीका शुरू करना जिसके अंतर्गत आयोग व्यापारी से आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर आयोग और व्यापारी के बीच परस्पर सहमति से मामले का निपटारा करेगा और जिसे सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदन प्राप्त होगा।	• महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा चलाए जा रहे पशुपालन कार्यक्रम को प्राइमरी स्कूलों में दोपहर के भोजन कार्यक्रम से जोड़ने का उपाय करना ताकि दोपहर का भोजन प्रोटीनयुक्त हो। • जिलों में छोटे और मझोले उद्योग के समूह की प्रत्यक्ष या संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापना को सहज बनाने के लिए पश्चिम बंगाल लघु उद्योग विकास निगम को निधि आबंटित करना। • स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों तथा स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण देने एवं उनके उत्पाद का विपणन करने में सहायता करने हेतु प्रत्येक जिला में विपणन और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना। • यातायात को तीव्र बनाने हेतु कोलकाता और उपनगरीय इलाकों को जोड़ने के लिए हलकी तेज आवागमन प्रणाली प्रारंभ करना। • प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक शिशु शिक्षा केंद्र में प्राइमरी-पूर्व शिक्षा केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव जिसमें अपेक्षित बुनियादी सुविधाएं तथा शिक्षा सहायिका होंगी। • सभी ज्यूनियर मदरसों को उच्च मदरसों में बदलने का प्रस्ताव तथा, राज्य के सभी माध्यमिक शिक्षा केंद्रों को ज्यूनियर हाई स्तर से सेकंडरी स्तर में बदलना। • चालू वर्ष में 30 नए महाविद्यालयों की स्थापना करना तथा उनमें सामान्य शिक्षा के साथ-साथ इजीनियरिंग और प्रबंधन पाठ्यक्रमों पर जोर देना।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	शुल्क दर घटाकर 6 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 5 प्रतिशत करना। वहीं कलकत्ता सुधार अधिनियम, 1911 तथा हावड़ा सुधार अधिनियम, 1956 के अंतर्गत लगाए गए स्टैंप शुल्क को हटा लिया जाएगा। • कोलकाता महानगर आयोजना क्षेत्र के बाहर स्थित होटलों पर विलासिता कर प्रारंभ करना। • हुडको और पश्चिम बंगाल बुनियादी सुविधा विकास वित्त निगम से विस्तृत चर्चा करके ऋणों की अवधि एवं उनकी मात्रा का पुनः निर्धारण करना।		
29.एनसीटी दिल्ली	• 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी विकलांग व्यक्तियों को 350/- रुपए प्रतिमाह का भत्ता उन्हें नौकरी मिलने तक या स्वरोजगार कारोबार में लग जाने तक, जो भी पहले हो, देने का प्रस्ताव। • एलपीजी और आईएनजी पर कर की दर घटाकर 4 प्रतिशत करना। • प्रस्ताव है कि यदि दिल्ली के बाहर से माल लाया जाता है और उसपर सीएसटी अधिनियम के अंतर्गत कोई कानूनी फार्म नहीं तो उस पर कर कंपोजीशन की दर घटाकर 3 प्रतिशत और यदि समस्त माल दिल्ली के भीतर से लाया जाता है तो कर की दर 2.5 प्रतिशत कर दी जाए। • ऐसे व्यापारियों के लिए कम्पोजीशन योजना प्रारंभ करना जो विशेषतया दवाइयों का कारोबार कर रहे हैं और जिनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है। • बुलियन व्यापारियों के लिए कम्पोजीशन योजना की घोषणा का प्रस्ताव जिसके	• दिल्ली विविध मॉडल निवास प्रणाली, कंपनी अधिनियम के तहत एक नया विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी)। • सरकार को भारतीय सार्वजनिक संस्थान, दिल्ली में स्त्री-पुरुष अध्ययन पद सृजित करने का प्रस्ताव है ताकि अधिक सुधारात्मक कार्यक्रम बनाए जा सकें। • सरकारी-निजी भागीदारी दृष्टिकोण (पीपीपी) को अपनाने का नीतिगत वक्तव्य सरकारी विभागों में इस संबंध में परिचालित करने का प्रस्ताव है। • योजनाओं के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए सरकार का प्रस्ताव है कि सचिवों के अधिकार बढ़ा दिए जाएं ताकि वे परियोजनाओं/कार्यों तथा आकस्मिक व्यय की मंजूरी दे सकें। • केवल महिला कल्याण के लिए लागू की जा रही योजना के स्वरूप का निर्धारण कर लिया गया है तथा स्त्री-पुरुष बजट 2006-07 में शामिल कर लिया गया है।	• रिंग रोड पर रैंप तथा एस्केलेटर सुविधा सहित पांच नए पैदल पुल तथा मकबरा चौक में फ्लाईओवर बनाना। • नई सड़क बनाने की परियोजना तथा दिल्ली को विश्व-स्तरीय शहर बनाने के लिए मौजूदा सड़कों में सुधार करना और ऐसी सड़कों का निर्धारण कर लिया गया है। • द्वारका और नरेला में निर्माण, परिचालन तथा स्थानांतरण आधार पर दो और नए अंतर-राज्य बस टर्मिनल की स्थापना की जाएगी। • आपदा प्रबंधन को शहरी विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से माइक्रो-ज़ोन हेतु योजना तैयार करना जिसके लिए उन्हें आपदा की स्थिति के प्रयोजन से उन जोन की मिट्टी, इस्तेमाल ज़मीन, भवन संरचना तथा उनमें उपलब्ध बुनियादी सुविधा संबंधी सेवाओं की जानकारी देना।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(समाप्त)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	अंतर्गत वे 1 प्रतिशत के बजाय 0.1 प्रतिशत की दर से कर अदा करेंगे। • राजस्व बढ़ाने की दृष्टि से सामान्य मुख्तारनामा के उन मामलों पर स्टेंप शुल्क लगाना प्रारंभ करना जिनमें पार्टियों में खून का रिश्ता नहीं है। • अमूर्तकरण के माध्यम से स्टैंप पेपर का इस्तेमाल समाप्त करना और अमूर्तकरण लागू करना। • मनोरंजन नीति बनाने की प्रक्रिया जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन को प्रोत्साहित करना एवं सहज बनाना है।		• द्वारका में 500 बिस्तर वाला अस्पताल, जीटीबी अस्पताल शाहदरा में 500 बिस्तर वाला नया वार्ड, अशोक विहार में नया अस्पताल भवन तथा खेड़ा डाबर में आई एसएम इंस्टीट्यूट और मल्टी-थेरेपी अस्पताल का निर्माण शुरू करना। • जीटीबी अस्पताल के ऑनकोलॉजी विभाग को स्वायत्त संस्थान के रूप में प्रोन्नत करते हुए दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान बनाने का प्रस्ताव। • एकीकृत प्रौद्योगिकी संस्थान तथा आंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। • बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ट्रांसको, महारानी बाग और मुंदका में 400 केवी के दो नए ग्रिड उप-स्टेशन बनाने का कार्य शुरू करेगा। • प्रगति विद्युत परियोजना के चरण II में 330 मेगावाट क्षमता की गैस-आधारित संयुक्त चक्र परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव। • दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली में तीन स्वचालित परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन की स्थापना करेगी। • सरकार, विशेषज्ञों के परामर्श से दिल्ली में ''भारत पर्यटन एवं सांस्कृतिक लघु पार्क'' विकसित करेगी। • आर्थिक रूप से गरीब जनजाति तथा गैर-जनजाति माता-पिता को भी कन्या शिशु के जन्म पर 5,000 रुपए देने की योजना लागू करना। • एकीकृत शिशु विकास योजना कार्यक्रम में स्थानीय महिला मंडलों को संबंधित आंगनवाड़ी केंद्रों में वितरण हेतु भोजन पका कर तैयार करने का कार्य सौंपा जाएगा।